367

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2015 पुनरीक्षण निगरानी 571-I-15

1. हरीराम राजपूत पुत्र श्री चन्द्रभान राजपूत
2. रामनारायन राजपूत पुत्र श्री चन्द्रभान राजपूत
3. रामपाल सिंह पुत्र श्री गौरीशंकर राजपूत
   समस्त निवासीगण सलैया खालसा तहसील कुलपहाड़ जिला महौबा (उ.प्र.)
4. कुटटू पुत्र श्री मोतीलाल राजपूत
   निवासी ग्राम भगारी तहसील कुलपहाड जिला महौबा (उ.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

1. शंभूदयाल साहू पुत्र श्री छेदीलाल साहू
   निवासी – टी.बी. अस्पताल के सामने, नौगांव तहसील नौगांव जिला छतरपुर (म.प्र)
2. म.प्र. शासन

...... अनावेदकगण

मुकेश भार्गव एड. 17-3-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 17-3-15

मुकेश भार्गव 17-3-15 एडवोकेट ग्वालियर

न्यायालय तहसीलदार तहसील नौगांव जिला छतरपुर द्वारा प्र. कं. 23/अ–3/12–13 में पारित आदेश दिनांक ~~24.4.13~~ 24-4-13 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

संक्षिप्त तथ्य –

यह कि, अनावेदक शंभूदयाल साहू ने कस्बा नौगांव राजस्व निरीक्षक मण्डल नौगांव तहसील नौगांव जिला छतरपुर में स्थित आराजी ख.नं. 754/2/15

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-571-एक/2015 जिला छतरपुर हरीराम विरूद्ध शंभूदयाल व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार नौगांव जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 23/अ-3/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 24-04-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 17-03-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 10.1.19
सदस्य